पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्थिति

शहरी पुनर्वास (पुराना टिहरी नगर)

पुरानी टिहरी नगर(ओटीटी), जहां ई.एल. 640 से 660 मीटर के स्तर पर शहरी जनता बसी हुई थी, टिहरी कॉम्पलैक्स के निर्माण के दौरान पुरानी टिहरी नगर डूब के अंतर्गत आ गया था। पुराने टिहरी शहर में पूर्णरूप से प्रभावित 5291 परिवारों की शहरी जनता शामिल है। पुरानी टिहरी शहर को नई टिहरी नगर (एनटीटी) या विस्थापितों की इच्छाओं के अनुसार ऋषिकेश एवं देहरादून में पूर्णरूप से पुनर्वासित कर दिया गया है।

विवरण	आवश्यकता	निर्मित/विकसित	आवंटित
1. आवास क) भू-खण्ड ख) भवनों	 2438 2853	 2438 2853	 2438 2728 *
योग (क) एवं (ख)	**5291**	**5291**	**5166**
2. व्यावसायिक दुकान	787	787	787

* सभी पात्र व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ दिए गए हैं।

नई टिहरी नगर, 1350 से 1850 मीटर तक की ऊंचाई पर हिमालय के मनोरम दृष्टि के साथ प्रस्तावित झील के सम्मुख नए सिरे से विकसित किया गया है।

नए नगर में सभी शिक्षण (आईटीआई एवं एक विश्वविद्यालय सहित) 75 बिस्तरों का अस्पताल, वित्तीय संस्थाएं, जिला प्रशासन कार्यालय, बाजार, बस स्टैण्ड तथा पूजा स्थलों इत्यादि आधुनिक सुविधाएं हैं।

पुराने टिहरी नगर को जनवरी, 2004 में खाली कर दिया गया है।

ग्रामीण पुनर्वास

ग्रामीण पुनर्वास में 5429 ग्रामीण परिवारों को पूर्ण प्रभावित परिवारों तथा अन्य 3810 ग्रामीण परिवारों को आंशिक प्रभावित परिवारों की श्रेणी में वगीकृत किया गया है। ग्रामीण पुनर्स्थापन कालोनियां देहरादून एवं हरिद्वार जिलों में सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त कृषि क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा

क्र.सं.	विवरण	प्रभावित भूमि (एकड़ में)	गांवों की संख्या	पूर्ण प्रभावित परिवार	प्रदान की गई पुनर्वास सुविधाएं
1.	पूर्णरूप से जलमग्न/ प्रभावित गांव	2993.93	37	3355	3355
2.	आंशिक जलमग्न/ प्रभावित गांव	1936.91	72	2074	1620
	योग	**4930.84**	**109**	**5429**	**4975**

आंशिक रूप से प्रभावित परिवार लगभग 3810 है जिनमें से 2280 परिवारों को पुनवार्सित नहीं किया जाना है उन्हें नगद एवं अन्य भुगतान प्रक्रियाधीन है।

ग्रामीण पुनर्वास कालोनियां देहरादून एवं हरिद्वार जिलों के कृषि क्षेत्रों में स्थिति है और सभी नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, सिंचाई, नलयुक्त पेयजल, सड़कें, स्कूल, डिस्पेंसरी, पूजा स्थल एवं सामुदायिक केन्द्र इत्यादि सुविधाएं प्रदान करा दी गई हैं।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्राक्कलित लागत मार्च,1993 के मूल्य स्तर पर 413.72 करोड़ रूपए थी। पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन (मार्च,2003 के मूल्य स्तर पर) सरकार द्वारा 983.14 करोड़ रूपए है जिसमें हनुमंत राव समिति की 242.65 करोड़ रूपए की संस्तुति की गई तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई राशि शामिल है।

भूमि एवं संपत्ति की लागत के कारण हुई वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा सहमत हुए अतिरिक्त उपायों को शामिल करने के बाद पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कुल लागत 1200 करोड़ रूपए तक पहुंचने की संभावना है।

सामाजिक-आर्थिक पहलू पर एएससीआई, हैदराबाद द्वारा किया गया अध्ययन

भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज के द्वारा पुनर्वासित परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन किया गया, जिसमें यह पाया गया है कि पुनर्वासित परिवार, पुनर्वास होने से पूर्व की स्थिति से अब कहीं बेहतर जीवन स्तर, जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ तथ्य इस प्रकार हैं-

- पुनर्वास होने के बाद से कृषि आय में वृद्धि होने तथा इसके पश्चात किसी भी व्यक्ति का कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत न होना।
- पुनर्वासित होने के बाद प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय में 34.67औ की वृद्धि हुई है।
- पुनर्वासित केन्द्रों में पहले उपलब्ध अपर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं की तुलना में स्कूलों के लिए फर्नीचर एव विद्युत सुविधा सहित पक्के भवन उपलब्ध कराए गए हैं।
- पुनर्वासित केन्द्रों में बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध नहीं थी।
- परम्परागत, पहाड़ों में झरनों के पानी इकट्ठा करने तथा जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करने की तुलना में नए ठिकानों में पीने के पानी की सुविधाएं तथा एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- नए मकान बड़े तथा आधुनिक हैं।
- पूर्व में अलग-अलग स्थान पर कृषि भूमि की तुलना में चकबन्दी की गई कृषि भूमि आवंटित की गई है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की प्राक्कलन समिति की टिप्पणी

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की प्राक्कलन समिति द्वारा 1989 में कुछ पुनर्स्थापन कालोनियों का दौरा किया गया था। उनके अंग्रेजी रूपांतरण का संक्षेप में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष था कि नए स्थलों पर टिहरी के पुनर्वासित लोग उन सुविधाओं का उपभोग कर रहे है, जो कि अन्य भारतीय गांवों में उपलब्ध नहीं हैं।

समिति ने अपने दौरे के दौरान भानियावाला, रायवाला एवं पथरी ब्लाक स्थित पुनर्स्थापित कालोनियों का निरीक्षण किया। समिति ने पाया कि इन कालोनियों में देश के किसी भी गांव से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अच्छी सड़कें हैं। स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान है। सिंचाई एवं पेयजल के लिए प्रावधान उपलब्ध है। अस्पतालों एवं स्कूलों की सुविधा प्रदान करने के भी प्रयास किए गए हैं।